ONGC Jeetega Toh Jeetega India

PUBLIC INTEREST DISCLOSURE & PROTECTION OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)

WHAT IS PIDPI?

- PIDPI is a resolution of Government of India
- Identity of the complainant is kept confidential for all complaints lodged under it

HOW IS PIDPI COMPLAINT FILED?

- The Complaint should be addressed to Secretary, CVC and the envelope should be superscribed as "PIDPI"
- Name and Address of the complainant should **NOT** be mentioned on the envelope but in the letter inside in a closed cover

GUIDELINES TO ENSURE IDENTITY OF COMPLAINANT REMAINS CONFIDENTIAL

- Complaints that are personally related to the complainant or addressed to other authorities may lead to disclosure of identity.
- Complaints should not be sent in open condition or on public portal
- Documents that reveal identity should not be enclosed or mentioned in the complaint. Eg: documents received under RTI
- Name and Address should be mentioned on the letter inside the envelope for confirmation purposes.
- Complaints where confirmation is not received are closed.
- Anonymous / pseudonymous letters are not entertained

VIGILANCE AWARENESS WEEK 2023

For more details visit
https://www.cvc.gov.in

ONGC जीतेगा
तो जीतेगा India

ओएनजीसी
ONGC

सतर्कता आयोग

IEW
INDIA ENERGY
WEEK 2024

G20
भारत 2023 INDIA

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 (पिडपी)

पिडपी क्या है?

- पिडपी भारत सरकार का एक संकल्प है।
- इसके अंतर्गत दर्ज की गई सभी शिकायतों के शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

पिडपी शिकायत कैसे की जाती है?

- सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत भेजी जाए और लिफाफे पर 'पिडपी' लिखा होना चाहिए।
- शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे पर नहीं लिखा होना चाहिए अपितु बंद लिफाफे के अंदर पत्र में होना चाहिए।

शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहे, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश

- जो शिकायतें व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता से संबंधित हैं या अन्य अधिकारियों को संबोधित है, उनमें पहचान प्रकट हो सकती है।
- शिकायतें खुली स्थिति में या सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए।
- शिकायत में पहचान प्रकट करने वाले दस्तावेज संलग्न नहीं करने चाहिए अथवा उनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए जैसे: आर.टी.आई के अंतर्गत प्राप्त दस्तावेज।
- लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पता पुष्टि के प्रयोजन से लिखा होना चाहिए।
- जिन शिकायतों की पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, उन्हें बंद कर दिया जाता है।
- अनाम / छद्मनाम पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023

अधिक जानकारी के लिए
https://www.cvc.gov.in
को देख सकते हैं।